

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद:- बस्ती

दिनांक 19.02.2021

थाना कोतवाली पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम द्वारा व्यापारी की गाड़ी से धोखा देकर(टप्पेबाजी) रुपयों से भरा बैग चोरी करके भागने वाले अभियुक्त को एक लाख बयासी हजार पाँच सौ (182500) रुपये नगद व कार के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री आलोक प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव मय टीम, चौकी प्रभारी बड़ेबन श्री जनार्दन प्रसाद, एस0ओ0जी0 टीम व सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 47/2021 धारा 420 से सम्बंधित अभियुक्त अर्जुन पुत्र चन्द्रशेखर निवासी E- ब्लॉक 281, सेकेण्ड फ्लोर इन्द्रपुरी जे0जे0 कालोनी थाना इन्द्रपुरी दिल्ली को हर्दिया चौराहे से एक लाख बयासी हजार पाँच सौ (182500) रुपये नगद व कार DL-1-NA-0578 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अर्जुन पुत्र चन्द्रशेखर निवासी E- ब्लॉक 281, सेकेण्ड फ्लोर इन्द्रपुरी जे0जे0 कालोनी थाना इन्द्रपुरी दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

1. एक लाख बयासी हजार पाँच सौ (182500) रुपये नगद
2. कार होण्डा अमेज DL-1-NA-0578
3. एक अदद बैग
4. चेक 10 अदद, डायरी 3 अदद, विजिटिंग कार्ड 6 अदद, डिलेवरी चालान 43 अदद, मिताली इण्टरप्राइजेज लिस्ट 9 अदद, प्लाई सैम्पल 1 अदद, रेट लिस्ट 02 अदद

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अपने साथियों के गिरोह के साथ दिल्ली से गाड़ी बूक कर दुर दराज के क्षेत्रों में व्यापारियों, बैंक से पैसा निकालने वाले लोगों को झांसे में लेकर उनका बैग, रुपया चोरी कर लेते हैं और बाद में आपस में बाँट लेते हैं। हम लोग बाजार में घुमकर बैंक व दुकान पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखकर शिकार करते हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा सचिन अग्रवाल पुत्र स्व० जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल पता 29-A आनन्दपुरी थाना अनवरगंज कानपुर नगर दिनांक 04.02.2021 को थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिये कि गोरखपुर से बस्ती व्यापार के सम्बंध में कार UP-78-EN -2639 से आया था, बस्ती में हिन्दुस्तान बिल्डिंग मैटेरियल कटरा करीब 1.15 बजे पहुँचा वहाँ से मुझे गोण्डा जाना था कि सामने से एक व्यक्ति आया उसने कहा कि आपकी गाड़ी से मोबील आयल गिर रहा है। यह सुनकर मैं बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोला, बोनट पुरी तरह नहीं खुल रहा था। मैं गुगल पर सर्च करके फोर्ड कम्पनी के नंबर पर बात किया तो उसने गाड़ी को गोरखपुर दिखाने के लिए बताया उसी समय हिन्दुस्तान बिल्डिंग मैटेरियल पर एक व्यक्ति आया उसने कहा कि कम्पनी वाले बहुत पैसा लेंगे आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। मैंने पुनः प्रयास किया तो बोनट खुल गया अंदर सब ठिक था उसी व्यक्ति ने कहा कि गाड़ी के निचे झुक कर देखिए जब मैं झुक कर उठा तो देखा कि वह व्यक्ति नहीं था और मोबील नहीं गिर रहा था। बोनट बन्द करके वापस कार की सीट पर आकर बैठा तो देखा कि मेरा भूरे रंग का बैग गायब था जिसमें करीब पाँच, छः लाख नगद रुपया व पार्टी द्वारा दिया गया चेक हिसाब की डायरी थी। जिस व्यक्ति ने बताया कि मोबील गिर रहा है और दुसरा व्यक्ति जिसने गाड़ी ठीक करने की सलाह दी उन्ही लोगों ने बैग लिया है।

उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 47/2021 धारा 420 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त अर्जुन पुत्र चन्द्रशेखर का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 20/2004 धारा 21/61/85 NDPS Act थाना करोल बाग, जनपद मध्य दिल्ली।
2. मु०अ०सं० 231/2010 धारा 379,411 IPC थाना विकाशपुरी, जनपद वेस्ट दिल्ली।
3. मु०अ०सं० 260/2014 379 IPC थाना अम्बाला सीटी, अम्बाला हरयाणा।
4. मु०अ०सं० 349/18 धारा 4/25 Arms Act थाना कोतवाली, जनपद मथुरा।
5. मु०अ०सं० 47/2021 धारा 420, 379,411 IPC थाना कोतवाली, जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव
2. चौकी प्रभारी बड़ेबन श्री जनार्दन प्रसाद
3. प्रभारी सर्विलांस श्री जितेंद्र सिंह
4. उ०नि० श्री इन्द्रभूषण सिंह, उ०नि० श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली जनपद बस्ती
5. हे०का० हरेन्द्र यादव, कां० शिवप्रसाद गौड़, थाना कोतवाली जनपद बस्ती
6. हे०कां० अनिल कुमार, कां० जितेंद्र यादव, कां० संतोष यादव सर्विलांस टीम बस्ती
7. हे०कां० बुद्धेश कुमार, हे०कां० रामसुरेश यादव, हे०कां० आदित्य पाण्डेय, हे०कां० दिलीप कुमार, कां० अजय कुमार यादव एस०ओ०जी टीम बस्ती